

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 308 सन 2018

अनवान :-

1. रामसिंह पुत्र भानीसिंह जाति राजपूत साकिन बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. उच्छव कंवर पुत्री भानीसिंह जाति राजपूत साकिन बालासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 30/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 14/15 के खसरा न0 83/1 की कुल 7.7390 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता भानीसिंह पुत्र पन्नेसिंह कके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता भानीसिंह पुत्र पन्नेसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान के नाम से दर्ज हुई थी अर्थात भानीसिंह के वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी के नाम से दर्ज हुई थी अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई थी।

वादी की बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ था जिसे वादी काश्त करता आ रहा है एवं अन्य बहनों की भूमि वादी के नाम से दर्ज हो चुकी है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि वादी के नाम से दर्ज नहीं हो सकी किन्तु वादी ही उक्त भूमि काश्त करता आ रहा है प्रतिवादीया ने कभी भी वाद भूमि काश्त नहीं की गई उसने वाद भूमि वादी के पक्ष में त्याग की हुई मानी जा चुकी थी परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी की बहन के नाम से दर्ज जो वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वाद अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की बहन के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीया को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भानीराम पुत्र पन्नेसिंह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की वाद भूमि का काफी अरसा पूर्व ही वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का

ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 14/15 के खसरा न0 83/1 की कुल 7.7390हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता भानीसिंह पुत्र पन्नेसिंह कके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता भानीसिंह पत्रु पन्नेसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान के नाम से दर्ज हुई थी अर्थात भानीसिंह के वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी के नाम से दर्ज हुई थी अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई थी।

वादी की बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ था जिसे वादी काश्त करता आ रहा है एवं अन्य बहनों की भूमि वादी के नाम से दर्ज हो चुकी है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि वादी के नाम से दर्ज नहीं हो सकी किन्तु वादी ही उक्त भूमि काश्त करता आ रहा है प्रतिवादीया ने कभी भी वाद भूमि काश्त नहीं की गई उसने वाद भूमि वादी के पक्ष में त्याग की हुई मानी जा चुकी थी परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी की बहन के नाम से दर्ज जो वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वाद अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अबलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 14/15 के खसरा न0 83/1 की कुल 7.7390हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि भानीराम पुत्र ख्यालीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता भानीराम पुत्र ख्यालीराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता ख्यालीराम पुत्र सुखराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा बालासर के खाता संख्या 17/14 की कुल 7.7390 हैक् भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)  
नोहर



सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामसिंह पुत्र भानीसिंह जाति राजपूत साकिन बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. उच्छव कंवर पुत्री भानीसिंह जाति राजपूत साकिन बालासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 308 सन 2018 निर्णय दिनांक-30/7/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कौवर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा बालासर के खाता संख्या 17/14 की कुल 7.7390 हैक् भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते